भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5004

मंगलवार, 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक क्षेत्र

5004. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का औद्योगिक क्षेत्र में संकट और चुनौतियों की पहचान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं, चुनौतियों का समाधान करने का विचार है और यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का निवेशकों को आकर्षित करने वाली अवसंरचना के लिए विकास प्रदान करने हेतु विशेष योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पार्क विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और औद्योगिक विकास के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर राज्यों की रेटिंग क्या है; और

(च) क्या सरकार ने केरल में उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद किए जाने के कारणों का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च): औद्योगिक क्षेत्र के विकास की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, जिसमें राज्यों में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और बंद औद्योगिक इकाइयों का पुनरुद्धार करना शामिल है। राज्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय करते हैं। केरल राज्य ने औद्योगिक विकास में तेजी लाने तथा रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करने के लिए वर्ष 2023 में एक नई औद्योगिक नीति तैयार की है। इस नीति का लक्ष्य उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सहायता

प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, "केरल में समस्याओं का सामना कर रहे एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास हेतु स्कीम" समस्याग्रस्त एमएसएमई को वित्तीय और अन्य हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार, औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के राज्य सरकार के प्रयासों और उनके समक्ष आ रही चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में सहायता प्रदान करती है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के जरिए भारत सरकार देश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए उचित नीतिगत कार्यक्रमों द्वारा समर्थकारी ईकोसिस्टम उपलब्ध कराती है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की जारी स्कीमों के अलावा, सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नए उद्योगों के संवर्धन और स्थापना में सहायता के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ को कम करना, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उदारीकरण, भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) स्कीम आदि। निवेश में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) के रूप में एक व्यवस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की निम्नलिखित स्कीमों को अनुमोदन प्रदान किया है:

i. संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए औद्योगिक विकास स्कीम (आईडीएस), 2017।
ii. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास स्कीम (आईडीएस), 2017।
iii. जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम (एनसीएसएस)।
iv. पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश नीति (एनईआईआईपी), 2007।
v. पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस), 2017।
vi. उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण स्कीम (उन्नति, 2024)।

सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य सुदृढ़ और दीर्घकालिक भविष्य के लिए तैयार शहरों का निर्माण करना और भूखंड स्तर तक पूर्ण "प्लग एंड प्ले" अवसंरचना के साथ मल्टीमोडल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। औद्योगिक कॉरिडोर की परिकल्पना ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों में 'सर्वश्रेष्ठ' अवसंरचना से युक्त वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए की गई है। भारत सरकार ने अब तक राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के अंतर्गत 20 परियोजनाओं के विकास और इसके अलावा देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों की स्थापना/निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है। इन 20 परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-क** में दिया गया है।

विभाग ने राज्य औद्योगिक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) को भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी) के साथ एकीकृत करके एक राष्ट्रीय स्तर का भूमि बैंक तैयार किया है, जिसमें देशभर के क्लस्टर, पार्क, नोड, जोन सहित औद्योगिक क्षेत्रों का जीआईएस सक्षम डाटा आधार प्रदान किया गया है ताकि निवेशकों को निवेश के लिए अपनी पसंदीदा स्थल की पहचान करने में सहायता मिल सके। यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध आंतरिक अवसंरचना, नोडल स्थानों- हवाईअड्डों, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, ड्राईपोर्ट आदि तक बाह्य कनेक्टिविटी, उपलब्ध कच्चे माल और तैयार सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। वर्तमान में 7.62 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में फैले 4881 औद्योगिक पार्कों/एस्टेट/एसईजेड को आईआईएलबी पोर्टल पर मैप किया गया है, जिसमें यूटिलिटी, कनेक्टिविटी, कच्चे माल की उपलब्धता, स्थलाकृति आदि का ब्यौरा दिया गया है। इससे निवेशक भूखंड स्तर का डाटा देख सकेगा और उसे वास्तविक समय में भूमि संबंधी अद्यतन सूचना उपलब्ध होगी। आईआईएलबी पोर्टल पर मैप किए गए औद्योगिक पार्कों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुबंध-ख** में दिया गया है।

व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) डीपीआईआईटी की एक पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में व्यवसायों को प्रभावित करने वाले विनियामक फ्रेमवर्क में सुधार करना है। बीआरएपी, वर्ष 2015 में शुरू किए गए ऐसे सुधारों की व्यापक सूची है जिसे कार्यान्वित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। इन सुधारों में व्यवसाय संचालन के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जैसे व्यवसाय शुरू करना, श्रम कानूनों का अनुपालन, निर्माण परमिट प्राप्त करना और पर्यावरण संबंधी पंजीकरण आदि। बीआरएपी को प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो राज्यों को निवेश आकर्षित करने के प्रयोजन से अधिक अनुकूल

व्यावसायिक परिवेश बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन सुधारों के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। अद्यतन स्थिति के अनुसार, बीआरएपी के छह संस्करण (2015, 2016, 2017-18, 2019, 2020 और 2022) पूरे हो चुके हैं और तदनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है।

*****

अनुबंध-क

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5004 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	कॉरिडोर	नाम
1.	डीएमआईसी: दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर	1. धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर), 22.5 वर्ग किमी, गुजरात
		2. शेन्द्रा बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र (एसबीआईए), 18.55 वर्ग किमी, महाराष्ट्र
		3. एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप-ग्रेटर नोएडा (आईआईटी-जीएन), 747.5 एकड़, उत्तर प्रदेश
		4. एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप-विक्रम उद्योगपुरी (आईआईटी-वीयूएल), 1100 एकड़, मध्य प्रदेश
		5. एकीकृत मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स हब - नांगल चौधरी, 886 एकड़, हरियाणा
		6. मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमएलएच एवं एमएमटीएच), 479 एकड़, उत्तर प्रदेश
		7. दीघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र, 6056 एकड़, महाराष्ट्र
		8. जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, 1578 एकड़, राजस्थान
2.	सीबीआईसी: चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर	9. कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र, 2500 एकड़, आंध्र प्रदेश
		10. तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र, 1736 एकड़, कर्नाटक
3.	कोयंबटूर के रास्ते सीबीआईसी का कोच्चि तक विस्तार	11. पलक्कड़ औद्योगिक क्षेत्र, 1710 एकड़, केरल
4.	एकेआईसी: अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर	12. खुरपिया फार्म एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, 1002 एकड़, उत्तराखंड
		13. राजपुरा पटियाला आईएमसी, 1100 एकड़, पंजाब
		14. हिसार एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, 2988 एकड़, हरियाणा
		15. आगरा, 1058 एकड़, उत्तर प्रदेश

		16. प्रयागराज, 352 एकड़, उत्तर प्रदेश
		17. गया में आईएमसी, 1670 एकड़, बिहार,
5	एचएनआईसी: हैदराबाद नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर	18. जहीराबाद चरण-1, 3245 एकड़, तेलंगाना
6	एचबीआईसी: हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर वीसीआईसी: वाईजैग	19. ओर्वाकल औद्योगिक क्षेत्र, 2621 एकड़, आंध्र प्रदेश
7	चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर	20. कोपार्थी औद्योगिक क्षेत्र, 2596 एकड़, आंध्र प्रदेश

*****

अनुबंध-ख

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5004 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

रो-लेबल	**पार्क आईडी की संख्या**
अंडमान और निकोबार	16
आंध्र प्रदेश	425
अरुणाचल प्रदेश	19
असम	53
बिहार	82
चंडीगढ़	7
छत्तीसगढ	96
दादरा एवं नगर हवेली	4
दमन और दीव	5
दिल्ली	31
गोवा	24
गुजरात	312
हरियाणा	50
हिमाचल प्रदेश	64
जम्मू और कश्मीर	69
झारखंड	131
कर्नाटक	384
केरल	133
लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	6
लक्षद्वीप	8
मध्य प्रदेश	145
महाराष्ट्र	497
मणिपुर	7
मेघालय	9
मिजोरम	8
नगालैंड	6
ओडिशा	147
पुदुच्चेरी	11
पंजाब	64
राजस्थान*	1209*
सिक्किम	5

तमिलनाडु	370
तेलंगाना	169
त्रिपुरा	13
उत्तर प्रदेश	247
उत्तराखंड	40
पश्चिम बंगाल	15
कुल योग	**4881**

*राजस्थान के डाटा को अद्यतन किया जाना है और यह संख्या 31 मार्च, 2025 तक कम हो जाएगी।

*****